न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्याः 29/2012 (जीसीएमएस 2012/00062)

01. देवकीनन्दन पुत्र श्री जगन्नाथ माहेश्वरी निवासी प्लाट नम्बर 233 बिहारी मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।

02. अंसल प्रोपट्रीज एण्ड इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 115, अंसल भवन, 16 कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली हाल कार्यालय 4 तल मंयक ट्रेड सेन्टर स्टेशन रोड़, जरिये ओ.पी.हर्ष अधिकृत प्रतिनिधि

---अपीलार्थी

बनाम

01. मंगलचन्द पुत्र श्री हनुमान,

02. बंशी पुत्र श्री हनुमान समस्त जाति अहीर, निवासी चक बावड़ी, तहसील व जिला जयपुर।

03. रूडा पुत्रं झूंथा,

04. गोपाल पुत्र झूंथा,

05. सीताराम पुत्र झूंथा,

06. मदन पुत्र झूंथा,

07. मंगली बेवा नन्दा,

08. भंवरलाल पुत्र नन्दा,

09. ओमप्रकाश पुत्र नन्दा समस्त जाति अहीर, निवासी ढाणी राजावतान नारी का बास, तहसील व जिला जयपुर हाल निवासी महेशवास तहसील आमेर जिला जयपुर।

10. बाबू पुत्र श्री रामदेव,

11. राजू पुत्र श्री रामदेव समस्त जाति अंहीर निवासी झोटवाड़ा पंचायत समिति के पीछे, प्लाट नम्बर 4, झोटवाड़ा, तहसील व जिला जयपुर।

12. लाला पुत्र श्री माधो,

13. नन्छू पुत्र श्री माधो,

14. मालीराम पुत्र श्री भैरू,

15. प्रहलाद पुत्र श्री भैरू,

16. कैलाश पुत्र श्री भैरू,

17. मोहरी पत्नी श्री भैरू, समस्त जाति अहीर, निवासी चक बावड़ी, तहसील व जिला जयपुर।

18. श्रीमति पूनम बेवा रतनकुमार,

19. विनय पुत्र श्री रतनकुमार,

20. पियुष पुत्र श्री रतनकुमार समस्त निवासी प्लाट नम्बर 233 बिहारी मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।

21. भंवर पुत्र श्री नाथू,

22. गुलाब पुत्र श्री नाथू,

23. नारायण पुत्र श्री नाथू समस्त जाति अहीर, निवासी चक बावड़ी, तहसील व जिला जयपुर।

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

24. भगवान सहाय पुत्र रामकुंवार,
25. लादू पुत्र रामकुंवार,
26. पोखर पुत्र घीस्या समस्त जाति अहीर, निवासी अहीरों की ढाणी, भुदरपुरा, तहसील व जिला जयपुर।
27. हरि पुत्र घीस्या,
28. रूपनारायण पुत्र घीस्या समस्त जाति अहीर निवासी नारी का बास तहसील व जिला जयपुर।
29. नायब तहसीलदार तहसील व जिला जयपुर।

---रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 18.08.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2012 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम मांचवा अन्तर्गत तहसील व जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 430 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 431 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 447 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा भूमि को आराजीयात के पूर्व कब्जे काश्तकार व खातेदार टीनेन्ट रामदेव पुत्र बोदू जाति अहीर ने अपीलार्थी संख्या 1 के पिता जगन्नाथ पुत्र सुखलाल जाति माहेश्वरी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा 4000/— रूपये की एवज में कतई बेचान करते हुये आराजीयात का मौके पर कब्जा क्रेता को दे दिया गया, विक्रय पत्र दिनांक 04.04.1969 के आधार पर नायब तहसीलदार कालवाड़ तहसील जयपुर ने अपीलार्थी के पिता स्व. श्री जगन्नाथ पुत्र श्री सुखलाल जाति माहेश्वरी के नाम ग्राम मांचवा का नामान्तरकरण संख्या 356 तस्दीक किया गया है, जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 ने दिनांक 18.12.2008 को यानि 37 वर्ष पश्चात् विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई, जिसके संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसका रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 हाल अपीलार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात् मियाद बिन्दू पर बहस सुनी गई, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मियाद बिन्दू पर निस्तारण न करते हुये गुणावगुण पर निर्णय दिनांक 16.01.2012 को अपील स्वीकार की गई जो निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ने अपना निर्णय सादिर करने से पूर्व इन तथ्यों को इग्नौर किया है कि नामान्तरकरण अधीन आराजीयात खसरा नम्बर 430, 431 व 447 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा वाकै ग्राम मांचवा के अन्य खातेदारान मादू व झूंथा पुत्रान सूखा, हनुमान, रामकुंवार पुत्रान भूरा, घीसा, साधू, काना, सेडू पुत्रान गणेश, नाथू पुत्र श्योबक्स एवं रामदेव पुत्र

P.T.O.

बोदू जाति अहीर के मध्य अपनी सम्पति व आराजीयात का बाहमी फैसल के तहत बंटवारे में रामदेव पुत्र बोदू अहीर ने इस आराजीयात को 4000/- रूपये की एवज व प्रतिफल में अपीलार्थी संख्या 1 के पिता जगन्नाथ पुत्र सुखलाल जाति माहेश्वरी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान की गई थी तथा सभी हिस्सेदारान की सम्पति से आराजीयात को रामदेव पुत्र बोदू जाति अहीर ने अपीलार्थी के पिता को बेचान की गई थी, जिसके तहत बाद जांच हल्का पटवारी जी की रिपोर्ट मंगवाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 356 नायब तहसीलदार कालवाड़ द्वारा तस्दीक किया गया था तथा राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी के पिता श्री जगन्नाथ के नाम अमल दरामद हुआ तभी से अपीलार्थी के पिता आराजीयात के कब्जे काश्तकार व खातेदार टीनेन्ट रहा व राज्य सरकार को लगान अदा करता रहा है तथा अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थी के नाम विरासती नामान्तरकरण खोला जाकर तस्दीक हुआ व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ, तभी से अपीलार्थी आराजीयात का कब्जे काश्तकार व खातेदार टीनेन्ट है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों की अनदेखी करते हुये जो निर्णय सादिर किया है, वह निर्णय न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 356 एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है इसका इल्म अपीलार्थीगण हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 के पूर्व अधिकारियों को एवं अपीलार्थीगण को प्रारम्भ से ही था, क्योंकि यह आराजीयात खातेदारान के बाहमी फैसले व बंटवारे के तहत रामदेव पुत्र बोदू जाति अहीर के हक व अधिकार में आयी थी तथा रामदेव ने जगन्नाथ माहेश्वरी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान की गई थी तथा मौके पर कब्जा दिया गया जो वर्तमान में भी क्रेता का रहा तथा उसकी मृत्यु के पश्चात इसका जायज वारिस अपीलार्थी का है जो कि आराजीयात का कब्जे काश्तकार व खातेदार टीनेन्ट है। उन्होने आगे कथन किया है यह एक विचित्र सी बात है कि 37 वर्ष तक रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 9 को इन तथ्यों का इल्म न रहा हो, यह संदेहप्रद है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ने उक्त तथ्यों को अनदेखी करते हुये 37 वर्ष पश्चात् विलम्ब से प्रस्तुत अपील की मियाद को कण्डोन करते हुये अपील को गुणावगुण पर निस्तारण कर दिया, इससे साफ स्पष्ट है कि जिला कलक्टर जयपुर अपीलार्थीगण हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 से मिलकर अथवा प्रभावित होकर इन्हें लाभांस पहूंचाने की नियत से अवैधानिक रूप से अपीलाधीन निर्णय सादिर किया है, जो कि न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ने अपील के अन्तर्गत पक्षकारान के अभिभाषकगणों की बहस मियाद बिन्दू पर ही सुनी गई थी तथा सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर ही निर्णय सादिर करना चाहिए था लेकिन ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को गुणावगुण पर बिना सुने ही अपील को गुणावगुण पर निस्तारण कर दिया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित ऐसा निर्णय फ्राड व मिस रिप्रजेन्टेशन की संज्ञा में आता है, जो कि विधि व

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

न्यायिक दोषपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भी सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निर्णय मातहत अदालत मंसूख किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 9 ने नामान्तरकरण संख्या 356 पर पारित आदेश दिनांक 18.03.1971 के विरूद्ध दिनांक 18.12.2008 को अपील प्रस्तुत की है, जिसके संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया है, जिसके अन्तर्गत अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.12.2008 को हल्का पटवारी मांचवा के द्वारा होना अंकित किया है। इससे पूर्व इन्हें 37 साल तक जानकारी नहीं हुई जबकि राजस्व रिकार्ड 37 वर्ष पूर्व ही बन चुका था तथा हर चार साल बाद चौशाला जमाबन्दी तैयार होती है तथा आराजीयात का लगान भी जमा होता है, इस बारे में भी अपीलार्थीगण हाल रेस्पोडेन्टस को जानकारी न होना संदेहस्प्रद प्रतीत होता है, अपीलार्थीगण हाल रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 9 ने जिस श्रोत से अपीलाधीन आदेश यानि नामान्तरकरण की जानकारी सर्वप्रथम होना जाहिर किया है, उस व्यक्ति का अथवा हल्का पटवारी का शपथ पत्र भी अपने तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर ने अपीलार्थीगण हाल रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत दर्शाये गये तथ्यों के समर्थन में दिया गया और शपथ पत्र पर विश्वास करते हुये अपील को समयावधि में शुमार करने में कानूनी भूल की है, इस दोष के कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2012 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 356 दिनांक 18.03.1971 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता अपीलान्ट संख्या 2 ने अपील के तथ्यों को स्वीकार करते हुए कथन किया है उपरोक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 430, 431 व 447 कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा भूमि को आराजीयात के पूर्व कब्जे काश्तकार व खातेदार टीनेन्ट रामदेव पुत्र बोदू जाति अहीर ने अपीलार्थी संख्या 1 के पिता जगन्नाथ पुत्र सुखलाल जाति महेश्वरी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा 4000/—रूपये की एवज में कतई बेचान करते हुए आराजीयात का मौके पर कब्जा क्रेता को दे दिया गया था तथा विक्रय पत्र दिनांक 04.04.1969 के आधार पर नायब तहसीलदार कालवाड ने अपीलार्थी संख्या 1 के पिता स्व. श्री जगन्नाथ पुत्र श्री सुखलाल के नाम ग्राम मांचवा का नामान्तरकरण संख्या 356 तस्दीक किया गया जिसे के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 ने दिनांक 18.12.2008 को यानी 37 वर्ष के असाधारण विलम्ब से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जबकि अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये एम.ओ.यू. के द्वारा दिनांक 26.06.2002 द्वारा भूमि व उसका कब्जा अपीलार्थी संख्या 2 को दे दिया गया तत्पश्चात् अपीलार्थी संख्या 2 के आवेदन पर जिला कलक्टर जयपुर द्वारा उक्त आराजीयात का रूपान्तरण किया गया तथा आदेश दिनांक 21.10.2005 के द्वारा आवासीय योजना हेतु

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

प्रस्तुत नक्शे का अनुमोदन कर दिया गया तथा उसके उपरान्त अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा सम्पूर्ण भूमि को विकसित कर रोड़, टेलीफोन, पानी, सीवर लाईन डालकर एम.ओ.यू. की शर्तो के अनुसार अन्य क्रेताओं को विक्रय कर दिया गया तथा उनके द्वारा भौतिक कब्जा प्राप्त कर निमार्ण कर रहना प्रारम्भ कर दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मंगलचन्द द्वारा दिया गया शपथ पत्र भी मिथ्या तथ्यों पर आधारित है, एक भूमि जो 37 वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय की जाकर नामान्तरकरण खुलवाया जाकर उस पर सम्पूर्ण रूप से निमार्ण होने की जानकारी उस भूमि के पूर्व खातेदार को ना हो या अन्य सहखातेदार जो समस्त एक ही परिवार से सम्बन्धित है तथा एक सहखातेदार विक्रय पत्र का गवाह भी है, उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट का कथन की उन्हे उक्त नामान्तरकरण की पूर्व में जानकारी नही थी, मिथ्या व सर्वथा हास्यास्पद है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलार्थी संख्या 2 ने कथन किया है कि अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा खसरा नम्बर 430, 431 व 447 की भूमि का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त भूमि को कार्यालय जिला कलक्टर जयपुर के आदेश संख्या 3713 दिनांक 13.04.2004 के द्वारा आवासीय भूमि में रूपान्तरित किया गया तथा जिला कलक्टर जयपुर के आदेश संख्या 18बी(20)2003 आर.14866 दिनांक 21.10.2005 के द्वारा आवासीय योजना हेतु प्रस्तुत किय गये नक्शे का अनुमोदन किया गया तत्पश्चात् भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ विकसित किया एवं अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त खसरा नम्बर 430, 431 एवं 447 में स्वीकृत कुल 63 प्लॉट्स का क्रेताओं को आवंटन कर दिया जिन पर वर्तमान में क्रताओं का कब्जा है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 356 विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को रेस्पोडेन्ट द्वारा कैन्सिल कराने के लिये किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी है, ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया जााना विधि विधान वं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2012 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 356 दिनांक 18.03.1971 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 430, 431 व 447 ग्राम मांचावा में स्थित है जिसमें रामदेव पुत्र बोदू 1/5 हिस्सा का खातेदार था जिसने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपना 1/5 हिस्सा जगन्नाथ पुत्र सुखलाल को विक्रय कर दिया तथा विक्रय के पश्चात् अपीलार्थी ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर नायब तहसीलदार कालवाड़ द्वारा आराजी खसरा नम्बर 430, 431

व 447 की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जिससे व्यक्ति होकर रेस्पोडेन्ट ने एक अपील नामान्तरकरण संख्या 356 दिनांक 15.03.1971 के विरूद्ध जिला कलक्टर जयपुर के यहाँ प्रस्तुत की जिसे आदेश दिनांक 16.01.2012 के द्वारा अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित ही किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 356 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजीयात में 1/5 हिस्से की भूमि का ही बेचान किया गया था एवं उसी के मुताबिक हिस्सा का नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिये था तथा शेष रकबे पर सहखातेदारान बतौर काबिज काश्तकार चले आ रहे थे ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 356 प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य व नल एण्ड वॉइड है क्योंकि सभी सहखातेदारान की भूमि का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद रजिस्टर्ड दस्तावेजात के आधार पर सम्पूर्ण का नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया जो कि कानूनन गलत था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधि सम्मत है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार यदि किसी भूमि या किसी सम्पत्ति में किसी व्यक्ति का अधिकार समाप्त किये जाते है तो ऐसी स्थिति में कानूनन इसको सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है, परन्तु नामान्तरकरण संख्या 356 दिनांक 18.03.1971 स्वीकृत करते समय शेष खातेदारान को सुने बिना ही उनके हक व अधिकार विवादग्रस्त भूमि में समाप्त कर दिये गये है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.001. 2012 पारित किया गया है तथा जो आदेश प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य अर्थात नल एण्ड वॉइड है एवं कानूनी रूप से निरस्त किये जाने योग्य है तथा ऐसे आदेश पर किसी प्रकार का मियाद का बिन्दू लागू नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन जाहिर होता है कि उक्त विवादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 356 दिनांक 18.03.1971 को नायब तहसीलदार कालवाड़ जिला जयपुर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार किया गया है जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.12.2008 को अपील पेश की गई जो लगभग 38 वर्ष के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई, उक्त अवधि के दौरान वादग्रस्त आराजी में कई प्रकार की तब्दीली हुई है उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट का यह कहना कि उन्हे उक्त नामान्तरकरण की जानकारी पूर्व में नही थी संदेहस्पद लगता है तथा उक्त नामान्तरकरण एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर या न्यायालय हाजा के समक्ष

P.T.O.

ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया गया हो। ऐसी स्थिति में एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण को अपील के माध्यम से निरस्त नही कराया जा सकता इसके लिये तो रेस्पोडेन्ट को नियमित दावा में ही अपने अधिकार तय करवाने चाहिये थे तथा रेस्पोडेन्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असाधारण विलम्ब से पेश की गई और उक्त विलम्ब को कण्डोन किये जाने के समुचित कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही थे उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2012 विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2012 को निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 356 वाके ग्राम मांचवा तहसील जयपुर पर पारित आदेश दिनांक 18.03.1971 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।